Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में पटवारी का दलाल 1500 रुपये रिश्वत लेते लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, पटवारी हुआ मौके से फरार**
- **आरोपी पटवारी की निवास की तलाशी में 1 लाख 45 हजार रुपये नगद बरामद**
- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *24 मार्च, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रवण कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) को योगेन्द्र सिंह पटवारी हल्का कोसाणा, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर के लिये परिवादी से 1500 रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कृषि भूमि का नामान्तकरण ऑनलाईन दर्ज करने की एवज में योगेन्द्र सिंह पटवारी हल्का कोसाणा, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर द्वारा 4 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 2 हजार रुपये पहले ही रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये हैं तथा अब अपने दलाल श्रवण कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 1500 रुपये रिश्वत और मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भोपाल सिंह लखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रूपसिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रवण कुमार पुत्र श्री माधुराम मेघवाल निवासी पटवार भवन के पास कोसाणा, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 1500 **रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी योगेन्द्र सिंह पटवारी हल्का कोसाणा, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर ए.सी.बी. की कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी योगेन्द्र सिंह के निवास की तलाशी में 1 लाख 45 हजार रुपये अतिरिक्त नगद मिले हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।